हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/8/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 ता 11 तक बावजूद तामील के उपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी सं. 12 [illegible] पेश कर नहीं आ रहे) वास्ते बहस रप० दिनांक 23/10/18 को पत्रावली पेश हो) SDO(C)	
23/10/18	[illegible] फरीकेन, उप०/P.O. साहब [illegible] पत्रावली दिनांक 8/11/18 को पेश हो।	
8/11/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस रप० 212 सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 25/11/18 को पेश हो SDO(C)	
25/11/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 10/07/15 को वाली आराजी [illegible] को [illegible] स्थाई किया जाता है। अप्रार्थीगण को ता फैसला [illegible] किया जाता है कि वो विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर आदेश किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के शामिल रहे। [illegible] SDO(C)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री जयसिंह आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/233/2015

वउनवान

1. टीकाराम पुत्र मल्या जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला तन सौंखरी तहसील कठूमर

——— सायल

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र मल्या जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
2. प्रकाश पुत्र मल्या जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
3. शम्भू पुत्र हरला जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
4. छोटक्या पुत्र फैली जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
5. मुकेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
6. रमेश पुत्र रामजीलाल जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
7. छोटल्ली उर्फ छोटेलाल पुत्र राजू जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
8. राधाकृष्ण पुत्र घीस्या जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
9. किशनसहाय पुत्र विहारी जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
10. मांगीलाल पुत्र रामधन जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला
11. रघुवर पुत्र रंगलाल जाति मीणा निवासी छीतरसिंह का नगला तहसील कठूमर जिला अलवर
12. उप पंजीयक कठूमर

——— गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री राजेशकुमार अवस्थी एडवोकेट : सायल की ओर से

श्री बी.सी चौधरी एडवोकेट – गैरसायल संख्या 12 की ओर से उप0

आदेश दिनांक 25/01/2019

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर 2583, 2585, 2587, 2590, 2591, 2592, 2593, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2626, 2624, 2625, 2627, 2631, 2636, 2640, 2632, 2584, 2586, 2588, 2589, 2594, 2595, 2596, 2628, 2629, 2639, 2693, 2694, 2611, 2630, 2633, 2634, 2635, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684,

Scanned by CamScanner

2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2695, 2696 वाके ग्राम सौंखरी व खसरा नम्बर 2457, 2567, 2546/2597 वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर सायल एंव गैरसायलान शामलात में काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी अवट है जिसका अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। सायल विवादित आराजी में गैरसायलान के साथ शामलात में काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान विवादित आराजी में सायल के शामलात कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है इस वजह से सायल विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहता है। विवादित आराजी शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है जवरन वेदखल करने तथा विना तकासमा कराये रहन वय करने की धमकी देते है। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल को अपार हानि असुविधा व क्षति होगी। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गेरसायलान को उपरोक्त आराजी सायल के हिस्सा के अनुसार कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करने रहन वय नहीं करने हेतु ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ला0 11 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 27.08.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। गैरसायल संख्या 12 जवाव प्रार्थना पत्र पेश नहीं करना चाहता। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 वाके ग्राम सौंखर व मंगोलाकी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है सायल विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी का अलग से कानूनी तकासमा कराना चाहता है। गैरसायलान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को तैयार नहीं है बल्कि

Scanned by CamScanner

सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है रहन वय करने की धमकी देते है। यदि गैरसायलान ने विवादित आराजी को विना तकासमा कराये रहन वय कर दिया या सायल के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की तो अपार हानि व नुकशान सायल को होगा। इस वजह से गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे। गैरसायल सं0 12 के अधिवक्ता ने विद्वान अधिवक्ता सायलान के तथ्यों का विरोध कर प्रार्थना पत्र सायल खारिज करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की वहस पर मनन किया। सायल द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम सौंखर व ग्राम मंगोलाकी में विवादित आराजी सायल एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज रहने से विवादित आराजी पर सायल व गैरसायलान का शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है यदि गैरसायलान ने सायल को उनके कब्जे काश्त में बाधा की या रहन वय कर दिया तो इससे सायल को नुकशान होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो ऐसी स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में प्रवल है। अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 2583, 2585, 2587, 2590, 2591, 2592, 2593, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2606, 2626, 2624, 2625, 2627, 2631, 2636, 2640, 2632, 2584, 2586, 2588, 2589, 2594, 2595, 2596, 2628, 2629, 2639, 2693, 2694, 2611, 2630, 2633, 2634, 2635, 2680, 2681, 2682, 2683,

Scanned by CamScanner

2684, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2695, 2696 वाके ग्राम सौंखरी व खसरा नम्बर 2457, 2567, 2546/2597 वाके ग्राम मंगोलाकी तहसील कठूमर के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25/1/19 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner